

पुलसि कमशिनरी प्रणाली

संदर्भ:

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो महानगरों लखनऊ और नोएडा में पुलसि कमशिनरी प्रणाली लागू की है, जिसके बाद दोनों ही महानगरों में नए पुलसि आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत पुलसि आयुक्तों को अतरिक्त उत्तरदायतिवारी के साथ कुछ दांडकि शक्तियाँ (Magisterial Powers) भी प्रदान की जाती हैं। सरकार के अनुसार, इन दो महानगरों में इस प्रणाली से प्राप्त परिणामों के आधार पर इसे राज्य में बड़ी जनसंख्या वाले कुछ अन्य ज़िलों में भी लागू किया जा सकता है।

देश के कई राज्यों के अतरिक्त विशेष के कई प्रगतीशील देशों में भी पुलसि कमशिनरी प्रणाली को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। इसके साथ ही वर्ष 1983 में जारी छठी राष्ट्रीय पुलसि आयोग रपोर्ट (National Police Commission Report) में भी 10 लाख से अधिकी की आबादी वाले महानगरों के लिये इस प्रणाली को आवश्यक बताया गया था।

मुख्य बिंदु:

- 13 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद लखनऊ शहर के 10 पुलसि थानों को पुलसि आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है जबकि ज़िले के अन्य थाना क्षेत्र पूरव व्यवस्था की तरह एसपी (ग्रामीण/ Rural) के अंतर्गत रहेंगे।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत लखनऊ शहर में एक पुलसि आयुक्त (ADG रैंक के अधिकारी) के अतरिक्त दो अपर आयुक्तों (IG रैंक) और 9 एसपी रैंक के अधिकारियों के साथ महला सुरक्षा के मामलों के लिये एसपी रैंक की एक महला अधिकारी की तैनाती भी की जाएगी।
- नोएडा में एक पुलसि कमशिनर, दो अपर पुलसि आयुक्त और पाँच एसपी रैंक अधिकारियों के साथ महला सुरक्षा के मामलों के लिये एसपी रैंक की एक महला अधिकारी की तैनाती की जाएगी।
- पुलसि अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (Bureau of Police Research and Development- BPRD) द्वारा वर्ष 2018 में जारी रपोर्ट के अनुसार, देश के 15 राज्यों और 61 शहरों में पुलसि कमशिनरी प्रणाली लागू है।

ज़िला स्तर पर विधिव्यवस्था की व्रतमान प्रणाली:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद -7 की प्रवधिटी 1 और 2 के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलसि' राज्य के विषय हैं।
- अतः इन मामलों में नए कानून बनाने या कानूनों में संशोधन करने तथा विभिन्न समितियों/आयोगों की सफिराशियों को लागू करने का उत्तरदायतिव राज्य सरकारों को सौंपा गया है।
- सवतंतरता के बाद से लगभग सभी राज्यों में ज़िला स्तर पर विधिएवं व्यवस्था के संचालन के लिये ज़िलाधिकारी (District Magistrate-DM) और पुलसि अधीक्षक (Superintendent of Police-SP) की नियुक्तिकर नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था (Dual system of Control) स्थापित की गई है।
- ज़िला स्तर पर शांतिव्यवस्था बनाए रखने एवं अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने हेतु नियंत्रण की इस व्यवस्था कोनियंत्रण और संतुलन सिद्धांत (Check and Balance Theory) के अनुरूप एक प्रभावी माध्यम माना गया है।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत पुलसि विषम परिस्थितियों (दंगा, करफ्यू आदि) में भी ज़िलाधिकारी के आदेश के अनुसार कार्रवाई करती है।

कमशिनरी प्रणाली :

- इस प्रणाली के अंतर्गत पुलसि और कानून व्यवस्था की सारी शक्तियाँ पुलसि आयुक्त (Commissioner of Police) में नहित होती हैं तथा पुलसि आयुक्त एकीकृत पुलसि कमान का प्रमुख होता है।
- कमशिनरी प्रणाली में पुलसि आयुक्त अपने कार्यक्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपने नियंत्रणों के लिये राज्य सरकार के प्रतिउत्तरदायी होता है।
- इस प्रणाली में दंड प्रक्रिया संहति (Code Of Criminal Procedure-CRPO) के तहत कुछ मामलों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार पुलसि आयुक्त को दे दिया जाता है। जैसे- CrPC की धारा 107-116, 144, 145 आदि।
- CrPC की धारा 20 के तहत पुलसि आयुक्त को दंडाधिकार की शक्तियाँ जबकि अपर आयुक्तों को CrPC की धारा 21 के तहत कुछ मामलों में दंडाधिकार की विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं।

- कमशिनरी प्रणाली में पुलसि आयुक्त को अपने कार्यक्षेत्र की सीमा के अंदर लाइसेंस जारी करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। जैसे- शस्त्र लाइसेंस, होटल या बार लाइसेंस आदि।
- पुलसि आयुक्त के पास क्षेत्र के कसी भी भाग में कसी भी प्रकार के आयोजन (सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉन्सरट, वैध प्रदर्शन, धरना आदि) की अनुमति देने या न देने का अधिकार होता है।
- इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में बल प्रयोग और संवेदनशील मामलों में रासुका {राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act-NSA)}-1980 या गैंगस्टर एक्ट के तहत वभिन्न धाराओं का प्रयोग करने के लिये पुलसि आयुक्त का आदेश ही अंतमि एवं सर्वमान्य होता है।

भारत में कमशिनरी प्रणाली का इतिहास:

आज भी देश के पुलसि तंत्र का आधार स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा लागू पुलसि अधिनियम, 1861 (The Police Act, 1861) ही है।

- भारत में सबसे पहले पुलसि कमशिनर की नियुक्तिब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल के कोलकाता शहर में वर्ष 1856 में (पुलसि अधिनियम-1861 के लागू होने से पहले) की गई।
- वर्ष 1856 में ही पुलसि अधिनियम (Police Act)-XII के तहत मद्रास (वर्तमान चेन्नई) में पहले पुलसि कमशिनर की नियुक्तिकी गई।
- बम्बई (वर्तमान मुंबई) महानगर में पुलसि कमशिनर की नियुक्तिवर्ष 1864 में की गई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के लगभग 9 महानगरों में कमशिनरी प्रणाली लागू है इसके साथ ही महाराष्ट्र रेलवे में भी कमशिनर रेलवे (Commissioner Railway) के रूप में यह प्रणाली लागू है।

स्वतंत्रता के बाद भी देश की नौकरशाही में बहुत अधिक परविरत्न नहीं किये गए, परंतु समय के साथ महानगरों के विकास से महानगरों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए और बड़ी संख्या में लोगों ने गाँवों से आकर महानगरों में बसना शुरू किया। महानगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण विधिव्यवस्था को बनाए रखने में आने वाली नई चुनौतियों को देखते हुए कमशिनरी प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई तथा पुलसि प्रणाली में सुधार के लिये गठित समितियों ने भी कमशिनरी प्रणाली की अनुशंसा की। जिसके पश्चात वर्ष 1978 में दलिली में पुलसि आयुक्त की नियुक्तिकी गई।

- वर्ष 1978 में ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में कमशिनरी प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया गया परंतु यह प्रयास सफल नहीं रहा और पुनः पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई।

समितियों द्वारा पुलसि कमशिनरी प्रणाली की अनुशंसा:

- **धर्मवीरा आयोग (Dharmaveera Commission):** पुलसि तंत्र में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 1977 में पूर्व राज्यपाल धर्मवीरा की अध्यक्षता में गठित छठे राष्ट्रीय पुलसि आयोग (6th National Police Commission) ने अपनी रपोर्ट में 5 लाख या उससे अधिकी की आबादी वाले महानगरों के लिये पुलसि कमशिनरी प्रणाली की अनुशंसा की थी।
- **पद्मनाभेया समिति (2000):** वर्ष 2000 में पद्मनाभेया समिति ने भी अन्य सुधारों के साथ अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में पुलसि कमशिनरी प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया था।
- वर्ष 2005 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलसि तंत्र में सुधार के लिये एक आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा प्रस्तावित Draft Model Police Act में 10 लाख या उससे अधिकी की आबादी वाले महानगरों के लिये पुलसि कमशिनरी प्रणाली को आवश्यक बताया गया था।

कमशिनरी प्रणाली की ज़रूरत क्यों?

- वर्तमान समय में महानगरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रशासन और प्रबंधन पर बढ़ रहा दबाव सर्वविदित है तथा जनसंख्या का यह भार महानगरों में अन्य कारकों से जुड़कर आए-दिनि विधिव्यवस्था के लिये नई चुनौतियों प्रस्तुत करता है। ऐसे में पुलसि तंत्र का एकीकृत होना अतिआवश्यक है।
- प्रशासन की दोहरी व्यवस्था में विधि-व्यवस्था का उत्तरदायतिव ज़िलाधिकारी और एसपी द्वारा साझा किया जाता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत पुलसि कसी भी अपरिधान की स्थितियों में ज़िलाधिकारी द्वारा स्थितिके आकलन के बाद दिये गए आदेश के अनुसार कार्य करती है।
- इस व्यवस्था में दोनों ही अधिकारियों से यह अपेक्षित होता है कि वे हर परस्थिति में परस्पर समन्वय के साथ अपने उत्तरदायतियों का नियन्त्रण करेंगे परंतु अनेक परस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि विभिन्नों में परस्पर समन्वय की कमी और आरोप-प्रत्यारोप बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।
- कमशिनरी प्रणाली में प्रशासन की कोई द्वैध-व्यवस्था (Duality) नहीं होती है, अतः विषम परस्थितियों में कठनि नियन्त्रण लेने और उनके शीघ्र क्रयान्वन में आसानी होती है।
- कमशिनरी प्रणाली में शीर्ष अधिकारी अपने नियन्त्रणों और कार्यों के लिये सरकार के प्रतिउत्तरदायी होते हैं। अतः इस व्यवस्था से नौकरशाही में व्याप्त कमियों को दूर करने में मदद मिलती है।

कमशिनरी प्रणाली की आलोचना:

- जर्मन दार्शनकि मैक्स वेबर (Max Weber) के शब्दों में “राज्य (State) अपनी सीमा में रह रहे लोगों पर वैधानकि रूप से बल प्रयोग (Legitimate use of physical force) के एकाधिकार का दावा करता है” अर्थात् सरकारें जनता पर बल के प्रयोग को वैधानकिता प्रदान करती हैं।
- सामाजिक कार्यकरताओं और समाज के अन्य सदस्यों द्वारा समय-समय पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि सरकारें जनता पर दबाव बनाए रखने के लिये कमशिनरी प्रणाली जैसे माध्यमों से पुलसि को सीधे अपने अधिकार में रखना चाहती है।
- कमशिनरी प्रणाली में कसी भी व्यक्तिके गरिफतारी वारंट, जमानत, भीड़ पर बल प्रयोग (लाठीचार्ज, आँसू गैस) जैसे कई अन्य संवेदनशील मामलों में अंतमि आदेश देने का अधिकार पुलसि आयुक्त को दे दिया जाता है, ऐसे में अनेक परस्थितियों में मानवाधिकार के हनन का भय बना रहता है।

- कमशिनरी प्रणाली में पुलसि आयुक्तों को दंडाधिकार एवं कई अन्य संवेदनशील मामलों में प्रशक्षण और अनुभव की कमी होने के कारण अव्यवस्था का भय बना रहता है।
- शक्ति के एक ही पद में नहिं होने से आदेशों पर **नियंत्रण और संतुलन (Check and Balance)** की कमी होती है तथा अधिकारियों के नियंत्रण होने एवं अपने अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।

आगे की राहः

- पूरव में भी मुंबई जैसे महानगरों में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलसि कमशिनरी प्रणाली के प्रभावी परिणाम देखने को मिले हैं। अतः लखनऊ और नोएडा जैसे महानगरों में यह व्यवस्था नियंत्रण सारथक साबित होगी।
- नोएडा में कमशिनरी प्रणाली लागू होने से दलिली और नोएडा के पुलसि आयुक्तों और वभाग के अन्य अधिकारियों के बीच परस्पर समन्वय में बढ़ोतरी होगी जससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region-NCR) में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी।
- कमशिनरी प्रणाली के तहत पुलसि आयुक्त के सर्वोच्च अधिकारी होने के बाद भी वह अपने नियंत्रियों के लिये सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, साथ ही पुलसि आयुक्त के आदेशों को जनता, मानवाधिकार कार्यकरताओं आदि दिवारा अदालतों में भी चुनौती दी जा सकती है। यह व्यवस्था पुलसि के नियंत्रण होने की आशंकाओं को दूर करती है।

[और पढ़े](#)

अभ्यास प्रश्नः वधि एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलसि कमशिनरी प्रणाली की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/police-commissionerate-system>